न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 38/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00218

उनवान

1. जवाहर सिंह पुत्र प्यारे
2. ओमप्रकाश
3. हमवीर
4. वीरेन्द्र सिंह
5. नवलकिशोर

पुत्रान जवाहर सिंह जाति जाट निवासी खानसूरजापुर तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रनवीर सिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी खानसूरजापुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 06.08.2018 उनवानी रनवीर सिंह बनाम जवाहर सिंह मु0न0 119/18

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 25.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 08 बीघा 06 विस्वा वाके ग्राम रूँध रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है जो कि प्रार्थी/रैस्पो0 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी/रैस्पो0 अपने पिता के जीवनकाल से विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। दिनांक 16.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.2018 को प्रार्थी/रैस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजी की देखभाल करने गया तो, मौके पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट आ गये एवं उन्होंने एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजी को तुमसे जबरन लट्ठ के बल पर छीनेगें। अगर अप्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, प्रार्थी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी/अपीलाण्ट को दिनांक 13.09.2018 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट जवाहर सिंह एवं रैस्पो0 के पिता स्व0 तेजाराम सगे भाई थे। तेजाराम परिवार का बडा भाई था। अपीलाण्ट एवं तेजाराम का एक ही संयुक्त परिवार था तथा जमींदारी के समय राजस्व रिकार्ड में कर्ताखानदान बडे भाई का नाम ही आता था परन्तु भूमि में पूरा परिवार हकदार रहता था तथा उससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। स्व0 तेजाराम की मृत्यु के पश्चात् रैस्पो0 को विरासतन विवादित भूमि प्राप्त हुई है। जबकि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाज्य संपत्ति है। जिसमें अपीलाण्ट का निष्फ हिस्सा होता है। अपीलाण्ट आज भी विवादित भूमि में अपने निस्फ हिस्से पर काबिज काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर, अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट स्वयं को रैस्पो0 के पिता स्व0 तेजाराम का सगा बडा भाई एवं कर्ताखानदान होना बताते हुये, विवादित भूमि में अपना निस्फ हिस्सा का दावा करते हैं। रैस्पो0 उसका खण्डन करते हुये। विवादित भूमि को अपने पिता की स्वःअर्जित सम्पत्ति कथन करते हैं। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2072–75 एवं हस्तगत अपील में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2068–71 में विवादित आराजी पर रैस्पो0 खातेदार काश्तकार दर्ज होने से, वर्तमान स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में बखूबी साबित होती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 06.08.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official